न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 123 / 2023
GCMS CASE NO-2023/123

सुशील कुमार पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल निवासी सूरतगढ तह0 सूरतगढ राज0।
––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार राज0।
रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री अजय कुमार अरोडा, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ, रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम।

दिनांक 05.09.2024

निर्णय

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश इंतकाल सं0 638 / 16.05.2022 को निरस्त करने का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अपील स्वीकार करने के तथ्य एवं प्रकरण के तथ्य आगामी बिंदु में अंकित है। अपीलार्थी की खातेदारी कृशि भूमि चक 28 पी.बी.एन. बी. तह0 सूरतगढ प0 नं0 40 / 352 किला नं0 9 / 0.253 है0, 8 / 0. 126 है0 = 0.379 है0 = 3795.30 वर्गमीटर का भू रूपांतरण आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा कमांक भू.रू. / 05 / 30.8.05 के द्वारा किया गया था। उपरोक्त भू. रूपांतरण का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करना तहसीलदार (राजस्व) का कर्तव्य था। लेकिन उनके द्वारा इंद्राज नहीं करने की दशा में अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड में इंद्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी पालना मे पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल सं0 638 / 16. 05.2022 ऑनलाईन दर्ज किया गया। जो भू. अभिलेख निरीक्षक के नोट के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ द्वारा दिनांक 13.06.2022 को निरस्त कर दिया। जो कि एक अहम कानूनी भूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मात्र भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इंतकाल निरस्त करके अहम कानूनी भूल की है। एवं इस तथ्य की पूर्ण जांच नहीं की है। अपीलार्थी की रूपांतरित भूमि वायूसेना से 900 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा भू. रूपांतरण करते समय हर प्रकार के नियम उपनियम एवं आदेशो की जांच करके ही रूपांतरण किया गया है। एवं इस रूपांतरण आदेश को राज्य सरकार पैरोकार राज. द्वारा किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी की भूमि का जारी रूपांतरण आदेश आज भी प्रभावी है। एवं अपने से उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी रूपांतरण आदेश जो कि विधिवत प्रभावी आदेश है का इंतकाल निरस्त करके अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने के काबिल है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 638 दिनांक 16.05.2022 जो दिनांक 13.06.2022

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, में निरस्ती आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए जाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.12.2023 को ऑनलाईन जमाबंदी का अवलोकन करने पर हुई। इसके पश्चात दिनांक 15.12.2023 को अपीलाधीन इंतकाल की नकल प्राप्त की एवं नकल प्राप्त करने के पश्चात जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। अपीलार्थी ने जानबूझकर देरी नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे।

रेस्पोडेंट राज पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को इस आदेश के बारे में पूर्ण जानकारी थी उनके द्वारा जानबूझकर अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील निरस्त फरमाई जावे

बहस उभय पक्ष सुनी गई अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 28 पी.बी.एन. बी. तह0 सूरतगढ प0 नं0 40/352 किला नं0 9/0.253 है0, 8/0.126 है0 = 0.379 है0 = 3795.30 वर्गमीटर का भू रूपांतरण आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा कमांक भू.रू./05/30.8.05 के द्वारा किया गया था। उपरोक्त भू. रूपांतरण का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करना तहसीलदार (राजस्व) का कर्तव्य था। लेकिन उनके द्वारा इंद्राज नहीं करने की दशा में अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड में इंद्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी पालना मे पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल सं0 638/ 16.05.2022 ऑनलाईन दर्ज किया गया। जो भू. अभिलेख निरीक्षक के नोट के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ द्वारा दिनांक 13.06.2022 को निरस्त कर दिया। जो कि एक अहम कानूनी भूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मात्र भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इंतकाल निरस्त करके अहम कानूनी भूल की है। एवं इस तथ्य की पूर्ण जांच नहीं की है। अपीलार्थी की रूपांतरित भूमि वायूसेना से 900 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा भू. रूपांतरण करते समय हर प्रकार के नियम उपनियम एवं आदेशो की जांच करके ही रूपांतरण किया गया है। एवं इस रूपांतरण आदेश को राज्य सरकार पैरोकार राज. द्वारा किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी की भूमि का जारी रूपांतरण आदेश आज भी प्रभावी है। एवं अपने से उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी रूपांतरण आदेश जो कि विधिवत प्रभावी आदेश है का इंतकाल निरस्त करके अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने के काबिल है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 638 दिनांक 16.05.2022 जो दिनांक 13.06.2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, में निरस्ती आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए जाए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ द्वारा कथन किया गया कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.7.2002 के आदेशानुसार वायुसेना स्टेशन रडार सेंटर से 900 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र में है। उक्त आदेश की पालना में इंतकाल खारिज किया गया है जो कि नियमानुसार सही आदेश है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.7.2002 के आदेशानुसार वायुसेना स्टेशन रडार सेंटर से 900 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र में है। उक्त आदेश की पालना में इंतकाल खारिज किया गया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मात्र भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तथ्य की पूर्ण जांच किए बिना इंतकाल निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.7.2002 को मध्यनजर रखते हुए पुनः जांच करें यदि जैर अपीलीय रकबा प्रतिबंधित क्षेत्र की परिधि से बाहर हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रकरण मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner